उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 80 / 2.... शि0प0/20
दिनांक 02.02.2015

निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठयकम (शिक्षण सत्र 2014–15 , 2015–16 एवं 2016–17 तक) के लिए पाठयकम शुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 का कार्यवृत्त।

एन0सी0ई0टी0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर '6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या–1561/सोलह–81–2008–5 (डब्ल्यू–48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या–2463/2008–सोलह–ए–5(डब्ल्यू–48)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठयकम हेतु निम्नवत् समिति गठित की गयी है।

1–	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा–	पदेन अध्यक्ष
2–	सचिव/विशेष सचिव, वित्त–	सदस्य
3–	निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0–	सदस्य

2– बैठक में अवगत कराया गया कि सत्र 2011–12 के लिए बी0एड0 पाठयकम हेतु शासनादेश संख्या–बी0एड0 378/सत्तर–3–2012–बी0एड0(16)/2011 दि0 29 सितम्बर, 2012 द्वारा रू0 51,250/–(रू0 इक्यावन हजार दो सौ पचास मात्र) शुल्क निर्धारित किया गया था। यह शुल्क बी0एड0 शिक्षण सत्र 2012–13 एवं सत्र 2013–14 के लिए भी लागू रहा, किन्तु बी0एड0 महाविद्यालयों के संघ द्वारा शुल्क निर्धारण "अपीलीय प्राधिकरण" लखनऊ में सत्र 2012–13 एवं सत्र 2013–14 के लिए शुल्क पुनर्निर्धारण कर शुल्क बढ़ाये जाने के लिए अपील की गयी। दिनांक 16.09.2014 को शासन ने अपीलीय प्राधिकरण में उक्त निर्गत शासनादेश के आलोक में ही अपना पक्ष रखा तथा शुल्क बढाये जाने को स्वीकार नहीं किया गया। बी0एड0 महासंघ के अधिवक्ता द्वारा विगत सत्रों के लिए शुल्क बढाने की ही बात कही जाती रही है।

3– एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या– 51–4/2014/NCTE /N&S दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 द्वारा बी0एड0 पाठयकम की अवधि 01 वर्ष से 02 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप बी0एड0 सत्र 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 हेतु शुल्क पुनर्निर्धारण किये जाने पर विचार करने हेतु दिनांक 23.01.2015 को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के कार्यालय कक्ष में समिति की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी व समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– श्री सरयू प्रसाद मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (सचिव/विशेष सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि)

2– ए0एन0एस0यादव, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद (निदेशक उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)

3– डा0 आर0पी0एस0 यादव, अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् लखनऊ।

5– समिति द्वारा चालू सत्र 2014–15 एवं आगामी सत्र 2015–16, 2016–17 तक के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख बिन्दुओं जिसमें विशेषतया बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, मुख्य रूप से शिक्षकों के वेतन एवं छात्र–छात्राओं की पाठयकम के प्रति अभिरूचि पर विचार किया गया। उक्त के अतिरिक्त चालू सत्र 2014–15 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी द्वारा आयोजित किये जाने तथा इस सत्र हेतु उपलब्ध कुल बी0एड0 की सीटें 139880 थी, जिनके सापेक्ष काउन्सिलिंग होने के उपरान्त 87979 सीटे ही भरे जाने तथा———

51901 सीटें रिक्त होने की स्थिति पर विचार करते हुए उक्त तथ्य को इस बात का द्योतक पाया गया कि छात्र–छात्राओं मे बी0एड0 के प्रति अभिरूचि/मॉग घटी है। उक्त के आलोक में समिति द्वारा वर्तमान सत्र 2014–15 के लिये पाठयक्रम शुल्क न बढाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

समिति द्वारा वर्णित स्थिति पर सम्यक विचार करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि NCTE नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 16.12.2014 के अनुसार बी0एड0 पाठयक्रम 02 वर्ष का हो गया है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठयक्रम के प्रथम वर्ष 2015–16 हेतु रू0 51250/– तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0– 30,000/– पाठयक्रम शुल्क निर्धारित किया गया। यह दरें शैक्षणिक सत्र 2015–16 से आगामी तीन वर्ष हेतु लागू रहेंगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(ए0एन0एस0यादव)	(सरयू प्रसाद मिश्र)	(कल्पना अवस्थी)
संयुक्त निदेशक,	संयुक्त सचिव,	प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा	वित्त विभाग,	उच्च शिक्षा विभाग
इलाहाबाद	उ0प्र0 शासन।	उ0प्र0 शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–97(1)/सत्तर–3–2015–बी0एड0(16)/2011
लखनऊ :: दिनॉक 28 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ प्राविधिक शिक्षा/समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समिति के सदस्यगण।
7– अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8– बेवमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
9– विभागीय आदेश पुस्तिका

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।